



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 105—अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2011

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतदद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नति किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्थ अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या—03 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तम्भ संख्या—04 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम अभियन्ता/गृह जनपद	सहायक अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् तैनाती का कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री परशुराम सिंह 88123 / बिहार	उप खण्ड अधिकारी—द्वितीय, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड—प्रथम, अलीगढ़।	अधिशासी अभियन्ता, प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा, को आवण्टित।
2	श्री प्रदीप अग्रवाल 88100 / आगरा	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत भण्डार केन्द्र, मथुरा।	अधिशासी अभियन्ता, प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा, को आवण्टित। (असंवेदनशील पद पर तैनाती हेतु)
3	श्री राजीव चतुर्वेदी 88330 / आगरा	उप खण्ड अधिकारी—I, सादाबाद (हाथरस)	अधिशासी अभियन्ता, प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा, को आवण्टित।

2— उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मात्र सर्वोच्च न्यायालय में निवेशित विशेष अनुमति याचिका (सी) नं 24483 आफ 2011—राधा कृष्ण एवं अन्य बनाम श्री गिरीश नारायण एवं अन्य में मात्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12—12—2011 के अनुपालन में है तथा इस याचिका में अन्तिम निर्णय में पारित आदेश के प्रतिबन्धाधीन होगा।

3— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21—3—2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

4— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0—5910—गोपन/पाकालि(06)—2001 दिनांक 11—6—2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

5— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को उनकी नियमित तैनाती के उपरान्त कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900—प्रशि0—10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता का कार्यभार नियमित रूप से ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संशाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

*2 मिन.
JMM*

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक


क्रमांक:2.....

संख्या: 105(1)अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2011 तदनिक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के प्रमुख निजी सचिव/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्वल, आगरा/मध्यान्वल, लखनऊ/पूर्वान्वल, वाराणसी/पश्चिमान्वल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 3— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0न्समिशन का0लि0।
- 4— मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5— समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7— अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8— उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9— सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,


(शशी पाल सिंह) २३/१२/२०११
उप सचिव

२०११-
Dinesh